टोडाभीम जि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांक:– 24.05.2024

न0:– 10/2024

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना आर.ए.एस

1. धर्मो बेवा रामसहाय जाति जोगी निवासी बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम।
2. नायब तहसीलदार बालघाट।
3. गुड्डन सिंह पुत्र छोटूसिंहं
4. जितेन्द्र सिंह पुत्र छोटू सिंह
5. मोनू सिह पुत्र छोटू सिंह
   समस्त जातियान राजपूत निवासीयान बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम।
6. दामोदर पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत करवाये जाने पत्थरगढी
अर्न्तगत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट
उपस्थित :– श्री लखनलाल मीना एडवोकेट प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक 14/8/24

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि बदलेटा बुजुर्ग के खसरा नम्बर 704/4/0.76 है0 की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार दर्ज र्गई है। मुताबिक खातेदारी अपनी भूमि पर काबिज एवं दखील है, जिससे अप्रार्थीगण का ई संबध किसी प्रकार का नही है, परन्तु आये दिन डौल मेड पर विवाद बना रहता है। र्थीया ने वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने के लिये तहसीलदार टोडाभीम के समक्ष र्थना पत्र पेश किया था, जिसमे तहसीलदार टोडाभीम के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा त भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर मौके पर ही रिपोर्ट तैयार की गई तथा उक्त ख0न0 सीमा कायम की जाकर दिनांक 28.06.2022 को निशानात लगाये गये, परन्तु अप्रार्थीगण उक्त दिनांक को ही सीमाज्ञान के निशानात मिटा दिये गये और प्रार्थीया के कहने पर प्रार्थीगण झगडा करने पर उतारू हो गये तथा ऐलानिया धमकी दी कि हम सीमाज्ञान को मानते है इसलिये यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0न0 4/4/0.76 है0 ग्राम बदलेटा बुजुर्ग का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2022 अनुसार थर गढी करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम व थानाधिकारी टोडाभीम को फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण नं0 1 तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की खातेदारी धर्मो पत्नि रामसहाय जाति जोगी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका दिनांक 28.06.2022 को खातेदार की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जा चुका है। मौके पर वर्णित आराजीयात पर कोई निर्माण नही है।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम बदलेटा बुजुर्ग स्थित खसरा नम्बर 704/4

Signature Not Verified
Digitally Signed by: Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

रकवा 0.76 है0 प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी है जिसका सीमा ज्ञान भी हो चुका है जिससे अप्रार्थीगण या किसी का कोई सम्बन्ध नही है फिर भी अप्रार्थीगण आये दिन सीमाचिन्हो सहित डौल मेड को तोडते रहते है इसलिए सीमाज्ञान के मुताबिक प्रार्थीगण की आराजी के पत्थर गढी करवाने के लिए तहसीलदार टोडाभीम को आदेश फरमावे

प्रार्थीगण वकील की बहस का मनन किया, पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख0न0 704/4 रकवा 0.76 है0 मे प्रार्थीया सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 28.06.2022 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थर गढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा किये जाने पर ग्राम बदलेटा बुजुर्ग की आराजी ख0न0 704/4 रकवा 0.76 है0 की पत्थर गढी भूमि खाली होने पर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.06.2022 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी बालघाट से आवश्यक पुलिस इमदाद लेकर पत्थर गढी करवाये। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14/8/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested